राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

कमाक : प 7 (51) परि/नियम/06/III / 32798 जयपुर, दिनांक : 04/05/09

कार्यालय आदेश 12/2009

विषयः—प्रति निरीक्षक चालक परीक्षण संख्या का मानदंड निर्धारित करने के संबंध में।

प्रायः यह देखा गया है कि ड्राईविग लाईसेंस आवेदकों की संख्या अधिक होती है एवं संबंधित निरीक्षक द्वारा समस्त आवेदकों के ड्राईविंग लाईसेंस परीक्षण का कार्य उसी दिवस में सम्पादित कर दिया जाता है। यदि नियमानुसार समस्त आवेदकों का चालन परीक्षण किया जाये तो व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है ।

अतः यह आवश्यक है कि नियमानुसार ड्राईविंग लाईसेंस परीक्षण में लगने वाला न्यूनतम समय सुनिश्चित किया जाकर प्रतिदिन प्रति निरीक्षक / उप निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले वाहन चालन परीक्षण संख्या का मानदण्ड निर्धारित किया जावे। सामन्यतः दुपहिया वाहन के चालन परीक्षण की जांच में 5 मिनट का सनय तथा चार पहिया वाहन के चालन परीक्षण की जांच मे 10—15 मिनट का समय लगता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि एक परिवहन निरीक्षण/उप निरीक्षक प्रतिदिन अधिकतर 15 चार पहिया वाहन व 30 दुपहिया वाहन की चालन क्षमता की जांच कर सकेगा। चालन परीक्षण जांच हेतु वाहन की गणना के लिए एक चार पहिया वाहन दो यूनिट दुपहिया वाहन के समकक्ष होगा। अर्थात् एक दिवस में किसी निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा अधिकतम 30 चार पहिया वाहन अथवा 60 दुपहिया वाहन की चालन परीक्षण की जा सकेगी।

किसी परिवहन कार्यालय में निर्धारित मानदण्ड से अधिक आने वाले लाईसेंस आवेदकों के आवदेन पत्रों का इन्द्राज क्रम से पृथक से एक पंजिका में किया जावे तथा इन लाईसेंस आवेदकों को ड्राईविंग टैस्ट के लिए उपस्थित होने हेतु निश्चित दिनांक व समय दिया जावे जिससे लाईसेंस आवेदकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।

(निरन्जन आर्य)
परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव

कमाक : प 7 (51) परि/नियम/06/III / 32799 जयपुर, दिनांक : 4/5/09

प्रतिलिपि :—

1. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.....
2. समस्त जिला परिवहन अधिकारी.....
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण.....
4. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (नियम)